

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, छ.ग.

-: कार्य विभाजन :-

क्रमांक-**02**/सां.लि./एक-11-1/2003

बिलासपुर दिनांक **04**/01/2025.

मैं, श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0) सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 21 (3) (4) द0प्र0सं0 की धारा 10 (2) (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन संबंधी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुये सिविल जिला बिलासपुर के समस्त न्यायालयों के लिए सिविल दावा प्रकरण, विशेष प्रकरण, सत्र प्रकरण व अन्य दांडिक प्रकरण तथा आवेदन पत्रों के संबंध में (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेण्डारोड द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य विभाजन के संबंध में किये गये आदेशों को छोड़कर) निम्नलिखित कार्य विभाजन आदेश पारित करता हूँ :-

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 04/01/2025 से प्रभावशील होगा, परंतु पूर्व से लंबित सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

टीप:- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्र.-19 सन् 1958) में संशोधन अनुसार- पीठासीन न्यायाधीश के पदनाम में संशोधन किया जाता है। (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल 2024, क्र.3460/डी./21- अ/प्रा.र./छ.ग./24.)

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र		प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर विशेष न्यायाधीश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005	सिविल जिला बिलासपुर एवं सत्र खण्ड बिलासपुर Sessions Division, Bilaspur	1	समस्त सत्र प्रकरण। (उन सत्र प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार अन्य विशेष न्यायालय को है।) समस्त आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण।
			2	धारा 408 एवं 409 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्रों की सुनवाई।
			3	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत मामले (अधिसूचना संख्या एस.ओ. 6033 (ई) नई दिल्ली दिनांक 04 दिसंबर 2018 के अनुसार)।
			4	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 के मामले:- (छ0ग0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का अधिसूचना क्रमांक 8541/2796/XXI-B/C.G./2015 दिनांक 01/09/2015, अधिसूचना क्रमांक 702/ 50/ XXI-B/C.G./ 2021 दिनांक 15/01/2024, अधिसूचना क्रमांक 3406/ 3100/ XXI-B/ C.G./ 2024 दिनांक 24/09/2024 एवं अधिसूचना क्रमांक 4181/ 3935/ XXI-B/C.G./ 2024 दिनांक 22/11/2024)

			सिविल जिला बस्तर, दक्षिण बस्तर-दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोण्डागांव, राजनांदगांव (राजस्व जिला - मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित), कबीरधाम (कवर्धा), सरगुजा (अंबिकापुर), बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया (बैकुण्ठपुर) सहित राजस्व जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं नाराणपुर को छोड़कर शेष जिलों से उद्धृत U/s. 22 एन.आई.ए. अधिनियम, 2008 संबंधी प्रकरणों का विचारण।
5			मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के मामले। (अधिसूचना संख्या एफ/डी-329/1496/21-बी/08, दिनांक 18.02.2008 के अनुसार)।
6			खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 (क्रमांक 34 सन् 2006) के अंतर्गत अपील (अधिसूचना क्रमांक एफ-25-8/2011/IX/55, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के अनुसार) खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में सिविल जिला बिलासपुर।
7			औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 36-एबी की धारा उपधारा (1) के तहत मिलावटी दवाओं और नकली दवाओं या अन्य अपराधों से संबंधित मामले। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.नं./134/XXI-बी/सी.जी./2016 दिनांक 12/01/2016 के अनुसार)।
8			कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास अधिनियम, 1957) के तहत मामले।
9			धारा 24 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अंतर्गत मामलों के अंतरण के लिए। (जिला पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही सहित)
10			सी.आर.पी.सी. की धारा 438 और 439 के तहत जमानत याचिकाएं। (ए.एस.जे., पेंड्रा रोड और विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/पॉक्सो न्यायालय, बिलासपुर को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।
11			घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत दावा, मामले। (जिला न्यायाधीश पेण्ड्रा-रोड को दिए गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।
12			सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत सभी मामले।

			13	सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1961 के तहत सभी मामले।
			14	ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत सभी मामले।
			15	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी मामले जो सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं। (कार्पोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना, नई दिल्ली, 1 सितम्बर 2016)
			16	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत सभी मामले।
			17	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का क्रमांक 49) छ.ग. शासन के अनुसार। विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अधिसूचना क्रमांक 10059/ 2991/ XXI-B/C.G./2018 नया रायपुर दिनांक 9 अक्टूबर 2018। (जिसमें धारा 14 के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति के संरक्षक की नियुक्ति भी सम्मिलित है।)
			18	10 लाख रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मुकदमा।
			19	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सभी संदर्भित मामले जिनका क्षेत्राधिकार, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्ववथापन प्राधिकरण को नहीं दिया गया है।
			20	मानसिक स्वास्थ्य अधि० के तहत मामले।
			21	प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत सभी मामले।
			22	जिला न्यायाधीश से नीचे के श्रेणी (व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी) के वाणिज्यिक न्यायालय सिविल जिला- बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं मुंगेली द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध समस्त वाणिज्यिक अपील। (Notification no. F.No. 14389/3830/XXI-B/ C.G./23, Naya Raipur dtd. 20 th December 2023) & Registry Endt. No. 17027/checker/III-4-1/2016 (Commercial Court), Bilaspur dated 21 st December, 2023.

			23	Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 के अंतर्गत सभी प्रकरण एवं उनसे उद्भूत मामलें। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क. -9742/3446/21-ब/2015 दिनांक-09.10.2015 सह. रजिस्ट्री पृष्ठांकन क.-8250/तीन-2-3/2015, दिनांक-15.10.2015 द्वारा अधिसूचित)।
			24	केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य के अधिनियमों, अन्य नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त दाण्डिक प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ जो सत्र न्यायालय में पेश किये जाने योग्य हो और जिसके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रस्तुत किये जावेंगे।
			25	सिविल जिला बिलासपुर के सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन एक करोड़ एक रुपये एवं इससे अधिक (रुपये 1,00,000.01 एवं उससे अधिक) हो ।
			26	आर्बिट्रेशन एन्ड कान्सिलिएशन एक्ट, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं Scheme for appointment of arbitrator by the Chief Justice के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीपति द्वारा दिये गये अधिकारों के तहत प्रकरण।
			27	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम, 1956, छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 एवं नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाओं एवं उससे संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
			28	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम, 1961 के कमांक 370 की धारा 13 (5) एवं 172 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।

			29	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें.
			30	पांच सौ एक रुपये से एक हजार रुपये तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			31	खनिज एवं खान (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1975 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1975) के तहत मामले। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क.एफ कमांक 4072/3861/C.G./2024 दिनांक 13/11/2024 द्वारा अधिसूचित)।
			32	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
2	विशेष न्यायाधीश (एटोसिटी) बिलासपुर	Sessions Division, Bilaspur	1	एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत विशेष मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
3	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) बिलासपुर	Sessions Division, Bilaspur	1	माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 3618/दो-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक 09/05/2013 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 4328/दो-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक 21/06/2013 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध (यौन उत्पीड़न) से संबंधित मामले की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रेक कोर्ट के अंतर्गत आने वाले सत्र प्रकरण एवं इससे संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण, जो समय-समय पर सत्र न्यायालय द्वारा भेजे जायें। (एस0सी0/एस0टी0 सिविल जिला बिलासपुर एवं जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को छोड़कर)।

			2	राजस्व जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्र से भा0दं0सं0 की धारा 306, 304 बी, 376, 354/भा0न्या0सं0की धारा 108, 80, 64 एवं 74 के तहत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का विधिवत् निराकरण करना। (जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दोनों का आरोप है, के प्रकरणों को छोड़कर) (एस0सी0/एस0टी0 सिविल जिला बिलासपुर एवं जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को छोड़कर)।
			3	बालकों के विरुद्ध अपराध या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में प्रकरणों का निराकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर के आदेश से उत्पन्न (जिला बिलासपुर के समस्त थानों से उद्भूत) समस्त दांडिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
			6	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
4	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, बिलासपुर (For exclusive hearing of cases under POCSO Act)	Sessions Division, Bilaspur	1	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सभी मामले विशेष न्यायाधीश (अधिसूचना क्रमांक 11325/3362/XXI-बी/सीजी/19 रायपुर दिनांक 05-11-2019 के अनुसार) द्वारा विचारणीय हैं। पुलिस थाने से उत्पन्न मामले और जमानत आवेदन- महिला थाना, कोनी, तोरवा, तखतपुर, सिटी कोतवाली बिलासपुर, तारबाहर, सकरी, मस्तूरी, रतनपुर और पचपेड़ी।
			2	अन्य पुलिस स्टेशन का मामला जो इस कार्य विवरण आदेश में उल्लेखित नहीं है प्रथम- एफटीएससी, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
5	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट टेक स्पेशल कोर्ट, बिलासपुर (For exclusive hearing of cases under POCSO Act)	Sessions Division, Bilaspur	1	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सभी मामले विशेष न्यायाधीश (अधिसूचना क्रमांक 11325/3362/XXI-बी/सीजी/19 रायपुर दिनांक 05-11-2019 के अनुसार) द्वारा विचारणीय हैं। साथ ही विविध जमानत आवेदन जो निम्नलिखित थानों से उद्भूत होंगे- पुलिस स्टेशन- सिरगिट्टी, जी.आर.पी., सिविल लाईन बिलासपुर, सरकंडा, हिरी, चकरभाठा, बिल्हा, कोटा और सीपत से उत्पन्न मामले और जमानत आवेदन।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
6	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) बिलासपुर (Under Prevention of Corruption Act) Bilaspur	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur (Except Jurisdiction given to District & Additional Sessions Judge Pendra Road)	1	सभी सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक मामले, जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिया जावेगा।
			2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सभी मामले एवं विविध आपराधिक मामले और जमानत आवेदन जो इनसे संबंधित हैं। As per notification No. 2742/599. 21-B/C.G./2024, Raipur Dated 15/03/2024, Law & legislative Affairs Department, Mantralaya, Chhattisgarh Govt., (अधिसूचना क्रमांक 4065/1135/ XXI-B/ CG/2016 रायपुर दिनांक 25-04-2016 एवं रजिस्ट्री पृष्ठा. क्रमांक 3444/III-6-4/ 2003 बिलासपुर दिनांक 27/04/2016 के अनुसार)।

			3	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (अधिसूचना के अनुसार) के तहत संबंधित सभी मामले विविध आपराधिक एवं जमानत आवेदन जो बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के है।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			5	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- सिविल लाईन 2- सिरगिट्टी के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			7	<u>रिक्त</u> समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गये प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
			8	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अवयस्क के संपत्ति से संबंधित मामले (परिवार न्यायालय के मामलों को छोड़कर)।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			10	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन नब्बे लाख एक रुपये से एक करोड़ तक (रुपये 90,00,001 से 1,00,000,00 तक) हो का निराकरण।

7	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Commercial Court (District Judge Level) (Including All Arbitration Cases) of Bilaspur & Mungeli District And Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	<table><tr><td>1</td><td> सभी वाणिज्यिक मामले जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रुपये तक हो (सभी प्रकार के माध्यस्थम विवाद सहित) बिलासपुर एवं मुंगेली जिलों से उत्पन्न। <i>Notification no. F.No. 14391/3830/XXI-B/ C.G./23, Naya Raipur dtd. 20th December 2023) & Registry Endt. No. 17027/checker/III-4-1/2016 (Commercial Court), Bilaspur dated 21st December, 2023.</i> </td></tr><tr><td>2</td><td> सभी माध्यस्थम मामले जिनका मूल्य 10 लाख तक है, जो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित है। </td></tr><tr><td>3</td><td> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले। </td></tr><tr><td>4</td><td> मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- कोनी 2- सीपत के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले। </td></tr><tr><td>5</td><td> पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोटा के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण। </td></tr><tr><td>6</td><td> माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना। </td></tr><tr><td>7</td><td> सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन तीस लाख एक रुपये से चालीस लाख तक (रुपये 30,00,001 से 40,00,000 तक) हो का निराकरण। </td></tr></table>	1	सभी वाणिज्यिक मामले जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रुपये तक हो (सभी प्रकार के माध्यस्थम विवाद सहित) बिलासपुर एवं मुंगेली जिलों से उत्पन्न। <i>Notification no. F.No. 14391/3830/XXI-B/ C.G./23, Naya Raipur dtd. 20th December 2023) & Registry Endt. No. 17027/checker/III-4-1/2016 (Commercial Court), Bilaspur dated 21st December, 2023.</i>	2	सभी माध्यस्थम मामले जिनका मूल्य 10 लाख तक है, जो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित है।	3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।	4	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- कोनी 2- सीपत के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।	5	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोटा के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।	6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।	7	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन तीस लाख एक रुपये से चालीस लाख तक (रुपये 30,00,001 से 40,00,000 तक) हो का निराकरण।
1	सभी वाणिज्यिक मामले जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रुपये तक हो (सभी प्रकार के माध्यस्थम विवाद सहित) बिलासपुर एवं मुंगेली जिलों से उत्पन्न। <i>Notification no. F.No. 14391/3830/XXI-B/ C.G./23, Naya Raipur dtd. 20th December 2023) & Registry Endt. No. 17027/checker/III-4-1/2016 (Commercial Court), Bilaspur dated 21st December, 2023.</i>																
2	सभी माध्यस्थम मामले जिनका मूल्य 10 लाख तक है, जो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित है।																
3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।																
4	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- कोनी 2- सीपत के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।																
5	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोटा के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।																
6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।																
7	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन तीस लाख एक रुपये से चालीस लाख तक (रुपये 30,00,001 से 40,00,000 तक) हो का निराकरण।																

8	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1	थाना 1. सिविल लाईन, 2. सिरगिट्टी, 3. सीपत, 4. तोरवा, 5. सकरी, 6. रतनपुर, 7. तखतपुर व चौकी जूनापारा, 8. हिर्री, 9. तारबहार, 10. पचपेड़ी, 11. थाना जी० आर ० पी० क्षेत्र से उद्भूत एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 से संबंधित वे सभी मामले जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है (अधिसूचना क्रमांक 1518/2050/XXI-B/CG/2024 रायपुर दिनांक- 11-07-2024 एवं रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 10956/III-6-1/2001 के अनुसार (पं.- III) (एनडीपीएस)/चेकर बिलासपुर दिनांक 12/07/2024)।
			2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानान्तरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			3	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- मस्तूरी 2- सकरी के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर एवं तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			6	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन अस्सी लाख एक रुपये से नब्बे लाख तक (रुपये 80,00,001 से 90,00,000 तक) हो का निराकरण।

9	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			2	थाना 1. गौरेला, 2. पेण्ड्रा व कोटमी चौकी, 3. मरवाही, 4. कोनी, 5. कोतवाली, 6. मस्तूरी, 7. बिल्हा, 8. कोटा व चौकी बेलगहना, 9. चकरभाठा, 10. सरकण्डा क्षेत्र से उद्भूत एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 से संबंधित वे सभी मामले जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं (अधिसूचना क्रमांक 1518/2050/XXI-B/CG/2024 रायपुर दिनांक- 11-07-2024 एवं रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 10956/III-6-1/2001 के अनुसार (पं.- III) (एनडीपीएस)/चेकर बिलासपुर दिनांक 12/07/2024)।
			3	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- बिल्हा 2- रतनपुर के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।
			5	पूर्व एवं वर्तमान में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।
			6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			7	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन बीस लाख एक रुपये से तीस लाख

				तक (रुपये 20,00,001 से 30,00,000 तक) हो का निराकरण।
10	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले। 2 मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- कोटा व चौकी बेलगहना के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले। 3 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, तखतपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण। 4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना। 5 सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन चालीस लाख एक रुपये से पचास लाख तक (रुपये 40,00,001 से 50,00,000 तक) हो का निराकरण।	
11	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले। 2 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (अधिसूचना के अनुसार) के तहत संबंधित सभी विद्युत संबंधित विविध आपराधिक एवं जमानत आवेदन जो बिलासपुर नगर निगम एवं पेण्डारोड क्षेत्र को छोड़कर शेष जिला बिलासपुर से संबंधित मामले। (As per Govt. of Chhattisgarh Notification F.No. 1641/474/XXI-B/C.G./2023, Raipur dtd. 07.02.2023) with connected Misc. Cr. Cases & Bail Petitions for Civil District Bilaspur except Bilaspur Nagar Nigam & Pendra Road area.	

			3	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- तखतपुर व चौकी जूनापारा के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			4	नवम/दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			6	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पचास लाख एक रुपये से साठ लाख तक (रुपये 50,00,001 से 60,00,000 तक) हो का निराकरण।
12	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			2	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- कोतवाली, 2- तोरवा के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			3	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, बिल्हा के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का

				निराकरण करना।
			5	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन साठ लाख एक रुपये से सत्तर लाख तक (रुपये 60,00,001 से 70,00,000 तक) हो का निराकरण।
13	अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			2	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- चकरभाठा 2- हिर्री 3- सरकण्डा के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			3	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोटा के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन दस लाख एक रुपये से बीस लाख तक (रुपये 10,00,001 से 20,00,000 तक) हो का निराकरण।
14	नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर & Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)			रिक्त न्यायालय
15	दशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	Sessions Division, Bilaspur	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			2	सभी प्रकार के श्रमिक विवाद।

	& Additional Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Civil District Bilaspur	3	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- तारबहार 2- पचपेड़ी के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			6	सिविल जिला बिलासपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन सत्तर लाख एक रुपये से अस्सी लाख तक (रुपये 70,00,001 से 80,00,000 तक) हो का निराकरण।
16	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ 0 टी 0 सी 0), पेण्डारोड & Additional Accident Claims Tribunal Pendraroad, (C.G.)	Another Sessions Division Pendra Road	1	आरक्षी केन्द्र गौरेला से उद्भूत सत्र प्रकरण।
			2	आरक्षी केन्द्र गौरेला से उद्भूत सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत सभी जमानत आवेदन के प्रकरण।
			3	बलात्कार के मामलों के तहत सभी सत्र प्रकरण (रजिस्ट्री अधिसूचना संख्या 4328/II-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक 21/06/2014 के अनुसार) एवं संबंधित विविध आपराधिक मामले और जमानत आवेदन.
			4	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय (बाल न्यायालय) के रूप में सभी मामले (अधिसूचना संख्या 7671/2445/XXI-बी/15 रायपुर दिनांक 07/08/15 के अनुसार) जुड़े हुए विविध आपराधिक मामले एवं जमानत आवेदन (एस.सी./एस.टी. सिविल जिला बिलासपुर को छोड़कर)।
			5	एमजेसी और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही के साथ मूल्यांकन में रुपये

				40,00,001/- (चालीस लाख एक रुपये) से उपर के सभी सिविल मुकदमे।
			6	छोटे मामले वाले प्रकरण 751/- रु.से 1000/- रु. तक के मूल्यांकन वाले एमजेसी और उससे जुड़े निष्पादन मामले।
			7	सभी सिविल अपीलें और विविध सिविल अपीलें जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मरवाही के निर्णय/आदेश से उत्पन्न हो।
			8	रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी पेण्डारोड के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।
			9	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत सभी मामले और अपीलें (उन्हें छोड़कर जिन्हें संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पेण्डारोड को सौंपा गया है)
			10	प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत सभी मामले।
			11	आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 31.सी.जी. के तहत सभी अपीलें।
			12	घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के तहत सभी दावा मामले (प्रधान जिला न्यायाधीश बिलासपुर को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।
			13	सहकारी समिति अधिनियम के तहत सभी मामलों रु. 50,000/- से अधिक मूल्य के।
			14	छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत पेण्डारोड और गौरेला से उत्पन्न होने वाले सभी अपीलें।
			15	न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (अधिसूचना एफ.सं. 9636/2654/XXI-B/CG/2022, दिनांक 29.08.2022 के अनुसार) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय।
			16	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			17	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

			18	सभी वैवाहिक मामले :- (ए) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (बी) भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (सी) विशेष विवाह अधिनियम 1954 (डी) तलाक अधिनियम 1869 (ई) पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1869।
			19	अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत सभी मामले (पारिवारिक न्यायालय के मामलों को छोड़कर)।
			20	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1- गौरेला 2- पेण्ड्रा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			21	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
17	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेण्डारोड & Additional Accident Claims Tribunal Pendraroad, (C.G.)	Another Sessions Division Pendra Road	1	आरक्षी केन्द्र पेण्ड्रा, मरवाही से उद्भूत सत्र प्रकरण (एफ0टी0सी0 एवं पॉक्सो प्रकरणों को छोड़कर)।
			2	पेण्डारोड एवं मरवाही न्यायालय से उद्भूत आपराधिक अपीलें।
			3	पेण्डारोड एवं मरवाही न्यायालय से उद्भूत आपराधिक पुनरीक्षण।
			4	आरक्षी केन्द्र - पेण्ड्रा, मरवाही से उद्भूत सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत सभी जमानत आवेदन के प्रकरण (एफ0टी0सी0 एवं पॉक्सो प्रकरणों को छोड़कर)।
			5	एमजेसी और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही के साथ मूल्यांकन में रुपये 10,00,001/- से लेकर 40,00,000/- (दस लाख एक रुपये से लेकर चालीस लाख रुपये तक) के सभी सिविल मुकदमे।
			6	छोटे मामले वाले प्रकरण 501/- रु. से 750/- रु. तक के मूल्यांकन वाले एमजेसी और उससे जुड़े निष्पादन मामले।
			7	सभी सिविल अपीलें और विविध सिविल अपीलें जो प्रथम/द्वितीय व्यवहार

				न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पेंड्रारोड के निर्णय/आदेश से उत्पन्न हो।
			8	सिविल और आपराधिक मामले में रिक्त जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड की सभी कार्यवाहियां।
			9	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल एवं आपराधिक मामले।
			10	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
			11	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र :- थाना 1— कोटमी चौकी 2— मरवाही के क्षेत्राधार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			12	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			2	सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अनुमोदन से उनके वितरण ज्ञापन में सभी आपराधिक मामले उनके पास रखे गए हैं।
			3	आर्थिक अपराध के तहत सभी मामले जो माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना में उन्हें सौंपे गए हैं।
			4	कालम क्रमांक 03 में उल्लेखित तहसीलों से संबंधित एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में सभी छोटे वाद मामले रु. 1/- से रु. 500/- तक के सभी लघुवाद।
			5	सभी सहकारी सोसायटी अधिनियम के मामले रु. मात्र 1/- से रु. 50,000/- तक।
			6	छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत सभी अपीलें तखतपुर एवं कोटा सहित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा संज्ञेय।
			7	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

			8	स्थायी लोक अदालत बिलासपुर क्षेत्र द्वारा प्रेषित समस्त निष्पादन प्रकरण।
			9	सिविल जिला बिलासपुर में स्थापित, लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाली सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
			10	10 लाख रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मुकदमा।
			11	सभी लघु वाद और एमजेसी/निष्पादन मामलें।
			12	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन आठ लाख एक रुपये से दस लाख तक (रुपये 8,00,001 से 10,00,000 तक) हो का निराकरण।
			13	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के अंतर्गत तहसील बिलासपुर, बेलतरा, मस्तुरी, सीपत एवं सकरी से उद्भूत सभी प्रकरणों का निराकरण।
			14	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
19	(रिक्त न्यायालय) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi,	1	सभी प्रकार के वाणिज्यिक विवाद जो 03 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के मूल्य के हो जिसमें माध्यस्थम प्रकरण सम्मिलित नहीं है। बिलासपुर जिले के लिए। All Commercial disputes pecuniary

	जे०एम०एफ०सी०, बिलासपुर एवं Commercial Court (Civil Judge Level) (Except Arbitration cases)	Seepat & Sakari		value upto 03 lakh to 10 lakh. (Except Arbitration cases) of Bilaspur District (Notification no. F.No. 14391/3830/XXI-B/C.G./23, Naya Raipur dtd. 20 th December 2023)
20	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं जे०एम०एफ०सी०, बिलासपुर एवं Commercial Court (Civil Judge Level) (Except Arbitration cases) of Mungeli & Janjgir-Champa District. (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी प्रकार के वाणिज्यिक विवाद जो 03 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के मूल्य के हो जिसमें माध्यस्थम प्रकरण सम्मिलित नहीं है। मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा जिले के लिए। All Commercial disputes pecuniary value upto 03 lakh to 10 lakh. (Except Arbitration cases) of Mungeli and Janjgir-Champa District Notification no. F.No. 14391/3830/XXI-B/C.G./23, Naya Raipur dtd. 20 th December 2023) & Registry Endt. No. 17027/checker/ III-4-1/2016 (Commercial Court), Bilaspur dated 21 st December, 2023
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पॉच लाख एक रुपये से आठ लाख तक (रुपये 5,00,001 से 8,00,000 तक) हो का निराकरण।
21	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं जे०एम०एफ०सी०, बिलासपुर एवं प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर			रिक्त न्यायालय

22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	Matter relating to U/s. 138 of Negotiable Instruments Act, 1881. (<u>Registry Memo. 1176/2006 Bilaspur dtd. 20/02/2006.</u>) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत धारा 138 के मामले (<u>रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 1176/2006 बिलासपुर दिनांक 20/02/2006</u>)
			2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पचास हजार एक रुपये से एक लाख तक (रुपये 50,001 से 1,00,000 तक) हो का निराकरण।
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	Matter relating to U/s. 138 of Negotiable Instruments Act, 1881. (<u>Registry Memo. 1176/2006 Bilaspur dtd. 20/02/2006.</u>) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत धारा 138 के मामले (<u>रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 1176/2006 बिलासपुर दिनांक 20/02/2006</u>)
			2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।

			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर			रिक्त न्यायालय
26	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं विशेष रेलवे मजि0, बिलासपुर		1	वितरण ज्ञापन में सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा तैयार कर उसे सौंपे गए हो एवं माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. की अधिसूचना के अनुसार।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	Tahsil Pendra Road, Pendra, Sakola & Marwahi Tahsil	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			2	सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अनुमोदन से उनके वितरण ज्ञापन में सभी आपराधिक मामले जो उनके पास रखे गए हैं।
			3	आर्थिक अपराध के तहत सभी मामले जो माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना में उन्हें सौंपे गए हैं।
			4	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से दस लाख तक (रुपये 5,00,001 से 10,00,000 तक) हो का निराकरण।
			5	रु. 201/- से रु.500/- तक के सभी छोटे ऐसे वाद मामले जो पेंड्रा रोड और

				मरवाही तहसील से जुड़े एमजेसी/ निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन हो।
			6	सभी सहकारी सोसायटी अधिनियम के मामले रु. मात्र 1/- से रु. 50,000/- तक।
			7	छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत सभी अपीलें पेंड्रारोड एवं मरवाही सहित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक द्वारा संज्ञेय।
			8	अन्य सभी सिविल मामले जो इस कार्य वितरण ज्ञापन में किसी अन्य सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी को नहीं सौंपे गए हैं।
			9	स्थायी लोक अदालत पेंड्रा रोड क्षेत्र द्वारा प्रेषित समस्त निष्पादन प्रकरण।
			10	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के अंतर्गत तहसील पेण्ड्रारोड, सकोला एवं मरवाही से उद्भूत सभी प्रकरणों का निराकरण।
			11	10 लाख रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मुकदमा।
			12	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
28	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, पेण्ड्रारोड	Tahsil Pendra- Road, Pendra & Sakola	13	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
			1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रा रोड द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रा रोड के द्वारा उन्हें सौंपे गए, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पांच लाख तक (रुपये 1 से 5,00,000

				तक) हो का निराकरण ।
			5	रु. 1/- से 200/- रु तक के सभी छोटे-मोटे मामले एवं संबंधित एमजेसी और निष्पादन के मामले जो पेंड्रा रोड से संबंधित हो ।
			6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना ।
			7	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
			8	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग - दो, पेण्ड्रारोड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यवाही सिविल मामले में।
29	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, पेण्ड्रारोड			रिक्त न्यायालय
30	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिल्हा	Tahsil Bilha & Bodri	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से दस लाख तक (रुपये 5,00,001 से 10,00,000 तक) हो का निराकरण ।
			5	एमजेसी/निष्पादन मामलों के मूल्यांकन रु. 201/- से रु. 500/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के अंतर्गत तहसील बिल्हा एवं बोदरी से उद्भूत सभी प्रकरणों का निराकरण ।

			7	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			8	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, बिल्हा	Tahsil Bilha & Bodri	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पांच लाख तक (रुपये 1 से 5,00,000 तक) हो का निराकरण।
			5	एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			7	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
32	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।

			3	सिविल जिला बिलासपुर में स्थापित, लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाली सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
33	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर			रिक्त न्यायालय
34	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन तीन लाख एक रुपये से चार लाख तक (रुपये 3,00,001 से 4,00,000 तक) हो का निराकरण।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
35	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0,			रिक्त न्यायालय

	बिलासपुर			
36	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
37	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पचास हजार तक (रुपये 1 से 50,000 तक) हो का निराकरण।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
38	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर			रिक्त न्यायालय
39	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका

				मूल्यांकन एक लाख एक रुपये से तीन लाख तक (रुपये 1,00,001 से 3,00,000 तक) हो का निराकरण ।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
40	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर (Ear-marked Court for U/s. 138 of Negotiable Instruments Act)	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन चार लाख पचास हजार एक रुपये से पांच लाख तक (रुपये 4,50,001 से 5,00,000 तक) हो का निराकरण ।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना ।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
41	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना ।
			3	उक्त तहसील से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन चार लाख एक रुपये से चार लाख पचास हजार तक (रुपये 4,00,001 से 4,50,000 तक) हो का निराकरण ।
			4	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
42	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, बिलासपुर			वर्तमान में रिक्त

43	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे०एम०एफ०सी०, बिलासपुर	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
44	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे०एम०एफ०सी०, बिलासपुर	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
45	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे०एम०एफ०सी०, बिलासपुर	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Beltara, Masturi, Seepat & Sakari	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
46	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे०एम०एफ०सी०, तखतपुर	Tahsil Takhatpur	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।

			4	तहसील तखतपुर से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से दस लाख तक (रुपये 1 से 10,00,000 तक) हो का निराकरण।
			5	एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 500/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के अंतर्गत तहसील तखतपुर से उद्भूत सभी प्रकरणों का निराकरण।
			7	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, तखतपुर के रिक्त न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यवाही सिविल मामले में।
			8	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			9	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
47	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, तखतपुर			रिक्त न्यायालय
48	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे0एम0एफ0सी0, कोटा	Tahsil Kota, Ratanpur & Belgahna	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	तहसील कोटा, रतनपुर एवं बेलगहना से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से दस लाख तक (रुपये 5,00,001 से 10,00,000 तक) हो का निराकरण।

			5	एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 201/- से रु. 500/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के अंतर्गत तहसील कोटा, रतनपुर एवं बेलगहना से उद्भूत सभी प्रकरणों का निराकरण।
			7	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			8	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
49	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, कोटा			रिक्त न्यायालय
50	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, कोटा	Tahsil Kota, Ratanpur & Belgahna	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	तहसील कोटा, रतनपुर एवं बेलगहना से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पांच लाख तक (रुपये 1 से 5,00,000 तक) हो का निराकरण।
			5	एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोटा के रिक्त न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यवाही सिविल मामले में।

			7	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			8	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
51	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं जे0एम0एफ0सी0, मरवाही	Tahsil Marwahi	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेंड्रा रोड द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			2	सभी आपराधिक मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेंड्रा रोड द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं, यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।
			3	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4	एमजेसी के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 5,00,000/- तक के सभी सिविल मामले और वहां से जुड़ी निष्पादन कार्यवाही
			5	एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			7	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

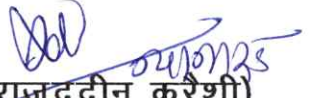
नोट :-

01. शंकाओं के निराकरण के लिए यह भी आदेशित किया जाता है कि जमानत आवेदन उक्त आदेशानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे और उसका विधिवत् पंजीयन संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा और निराकरण के बाद संबंधित न्यायालय द्वारा ही विधिवत् अरेंज कर अभिलेखागार में जमा किया जावेगा।

02. जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन-पत्र का निराकरण किया गया है। उसी अपराध से संबंधित द्वितीय, पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन-पत्र या सह-आरोपी के जमानत आवेदन-पत्र उसी न्यायालय में सीधे प्रस्तुत एवं निराकृत किये जायेंगे।

03. मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कम मात्रा (Small Quantity) के मादक पदार्थ से संबंधित अपराध के जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत होंगे, जिस न्यायालय को कार्यविभाजन आदेश के अनुसार उक्त आरक्षी केन्द्र आबंटित किया गया है।

04. अनु0जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के संयुक्त आरोप से संबंधित अभियोग पत्र, उसी पॉक्सो न्यायालय में पेश होंगे, जिस पॉक्सो न्यायालय को कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उक्त थाना आबंटित किया गया है।


 (सिराजुद्दीन कुरैशी)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

-: कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक- क/सां.लि./एक-11-1/2003

बिलासपुर, दिनांक-...../01/2025

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) एवं व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1956 की धारा 13 एवं धारा 21 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न तालिका के खण्ड क्रमांक-2 में दर्शित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति व न्यायालय रिक्त होने की दशा में (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश की अनुपस्थिति सम्मिलित करते हुये) खण्ड क्रमांक-3 में दर्शित न्यायालय के न्यायाधीश को खण्ड क्रमांक-2 में दर्शित न्यायालय का आवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य का संपादन करने हेतु अधिकृत किया जाता है, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा, जमानत आवेदन व अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य भी सम्मिलित हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-ए एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-बी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-सी के अनुसार संपादित किये जायेंगे।

<u>परिशिष्ट-ए</u>		
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेतु		
क्र.	न्यायालय का नाम	आवश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायालय
1	2	3
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण अधिनियम) बिलासपुर, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (पॉक्सो न्यायालयों को छोड़कर)।
2.	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बिलासपुर	सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (पॉक्सो न्यायालयों को छोड़कर)।
3	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट टेक कोर्ट) बिलासपुर	प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0एस0सी0), बिलासपुर एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (एट्रोसिटीज एक्ट न्यायालय को छोड़कर)।
4.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बिलासपुर	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), बिलासपुर एवं उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट टेक कोर्ट) बिलासपुर तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (एट्रोसिटीज एक्ट न्यायालय को छोड़कर)।
5.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बिलासपुर	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), बिलासपुर एवं उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट टेक कोर्ट) बिलासपुर तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (एट्रोसिटीज एक्ट न्यायालय को छोड़कर)।

[illegible]

[illegible]

परिशिष्ट सी

<u>परिशिष्ट सी</u>		
क्र.	न्यायालय का नाम	आवश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायालय
1	2	3
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर	तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर उनकी अनुपस्थिति में षष्ठम/अष्टम/नवम्/दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर।

[illegible]

नोट: परिशिष्ट "बी" एवं "सी" के खंड क्रमांक-3 में उल्लेखित सभी न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो आवश्यक कार्य उपस्थित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/कनिष्ठ श्रेणी द्वारा देखा जावेगा।

नोट:-

- 1- माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 14754, दिनांक 8/11/2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 15250, दिनांक 23/11/2023 एवं ज्ञापन क्र० 15520, बिलासपुर, दिनांक 29/11/2023 के परिपालन में अत्यावश्यक कार्य के परिशिष्ट-ए, बी एवं सी में खंड क्रमांक-2 के लिये खंड क्रमांक-3 के न्यायाधीश को लिंक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लिंक न्यायाधीश, अवकाश/अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय में उस दिन उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य, यदि संभव हो तो, अभिलिखित करेंगे, यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो, उस साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद करेंगे तथा अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने (ज्वाइन करने) की तिथि से, तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे। लिंक न्यायाधीश, अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के सभी सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को देखेंगे तथा उनकी सुनवाई संभव न होने पर अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने की तिथि से, तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जावेगा।
- 2- पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकॉलीन एवं शीतकॉलीन अवकाश) में होने पर उनके न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त लिंक ऑफिसर के द्वारा की जावेगी।


 (सिराजुद्दीन कुरैशी)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 बिलासपुर (छ०ग०)

पृष्ठांकन क 33 / सां.लि. / एक-11-1 / 2003

बिलासपुर दिनांक-04 / 01 / 2025

प्रतिलिपि :-

- 1- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छ0ग0, बिलासपुर।
- 2- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एक्ट, बिलासपुर
- 3- जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेण्डारोड
- 4- द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेण्डारोड
- 5- जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, बिलासपुर
- 6- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), बिलासपुर
- 7- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/दशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
- 8- प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर
- 9- विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, बिलासपुर
- 10- किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर
- 11- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर
- 12- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पेण्डारोड
- 13- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पेण्डारोड
- 14- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, तखतपुर/कोटा
- 15- प्रथम/तृतीय/पंचम/षष्ठम/अष्टम/नवम/दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर
- 16- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर
- 17- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, बिल्हा
- 18- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मरवाही
- 19- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कोटा
- 20- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बिलासपुर/पेण्डारोड/कोटा/तखतपुर/बिल्हा/मरवाही
- 21- कार्यालय शासकीय लोक अभियोजक एवं लोक अभिभाषक, बिलासपुर
- 22- प्रशासनिक अधिकारी/न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, बिलासपुर
- 23- न्यायालय प्रबंधक, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, बिलासपुर
- 24- लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, बिलासपुर
- 25- केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, बिलासपुर
- 26- प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ0ग0)